COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA
NEW DELHI-110012

No.10(4)/7CPC DA Revision 2026-Pool　　　　　　　　　　　　Dated:12 May, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Rates of Dearness Allowance in r/o- CSIR -Senior Research Associates

In pursuance of Office Memorandum No. 1/1(i)/2026-E.II (B) dated 22.04.2026, Issued by Ministry of Finance, D.O.E. on the above mentioned subject endorsed by Council of Scientific and Industrial Research vide letter No.5-1(70)/2009-PD dated 23-04-2026, Head, HRDG has been pleased to accord approval for the revision of rate of Dearness Allowance (D.A.) from existing rate of 58% to 60% to the CSIR -Senior Research Associates (CSIR-SRAs) with effect from 1st January,2026.

As CSIR-SRAs have been paid Dearness Allowance @ 58% on their monthly pay w.e.f. 01/01/2026 to till date, arrears of the D.A. bill on account of the above revision may be processed through the AMS Portal.

12/5/2026
(Rajiv Kumar Chopra)
Section Officer

To,
The Registrars/Directors Of All Grantee Universities/Institutions/Csir Laboratories

Copy also forwarded to:-

1. PS to Head, HRDG
2. Scientist In-charge, (Pool)
3. Head, IT Division, CSIR Complex, with request to upload this O.M. on CSIR HRDG website under **title:-** **"Revision of** Rates **of Dearness Allowance in r/o- CSIR-Senior Research Associates"**
4. Sr. Dy FA, Complex
5. Deputy Secretary, Pool
6. F.A.O (EMR-III)
7. Cad IT (AMS)
8. Office copy

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद

मानव संसाधन विकास समूह

सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा

नई दिल्ली-110012

सं 10(4)/7CPC DA Revision 2026 – Pool दिनांकः 12 मई, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर सीनियर रिसर्च असोसीएट के संदर्भ में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, डी. ओ. ई. द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं – 1/4(i)/2026-E-II(B) दिनांक 22-04-2026, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित कार्यालय ज्ञापन सं 5-1(70)/2009-PD, दिनांक 23-04-2026, के अनुसरण में प्रमुख , एचआरडीजी ने सीएसआईआर सीनियर रिसर्च असोसीएट (सीएसआईआर – SRAs) के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 58% से बढ़ाकर 60% किए जाने का संशोधन करने का अनुमोदन प्रदान किया है जो 01जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा ।

सीएसआईआर सीनियर रिसर्च एसोसीएट (सीएसआईआर – SRAs) को 01-01-2026 से अब तक के उनके मासिक वेतन में महंगाई भत्ता 58% की दर से भुगतान किया गया है, उपर्युक्त संशोधन से डी ए बिल का बकाया, एएमएस पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है।

(राजीव कुमार चोपड़ा)
अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

सभी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के रजिस्ट्रार/निदेशक

प्रति अग्रेषित :-

1. प्रमुख, एचआरडीजी के निजी सहायक
2. वैज्ञानिक प्रभारी, (पूल)
3. प्रमुख, आई टी प्रभाग, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स..... अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर, एचआरडीजी की वैबसाइट पर :- “ **सीएसआईआर - सीनियर रिसर्च एसोसीएट के सन्दर्भ में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन**” शीर्षक के अंतर्गत अपलोड करें ।
4. वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार, कॉम्प्लेक्स
5. उप सचिव, (पूल)
6. वित्त एवं लेखा अधिकारी (ई एम आर - III)
7. कैड आई टी (ए एम एस)
8. कार्यालय प्रति

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
Council of Scientific and Industrial Research
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. : 5-1(70)/2009-PD	दिनांक/Dated : 23.04.2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.01.2026 से प्रभावी के संबंध में।

Sub : Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees - effective from 01.01.2026 –reg.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(i)/2026-ई.II(बी) को सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

The undersigned is directed to state that the Competent Authority has accorded approval to forward the Office Memorandum No. 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22nd April, 2026 on the above subject issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, to all CSIR Labs./Instts./Units for information, guidance and compliance.

(सुरेन्द्र कुमार/Surender Kumar)
व. उप सचिव (नीति प्रभाग)/Sr. Deputy Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
   The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
2) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
3) कार्यालय प्रति/Office copy.

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

सं. 1/1(i)2026-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली

दिनांक: 22 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.01.2026 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06 अक्तूबर, 2025 के का.ज्ञा. सं. 1/4(i)/2025-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को **01 जनवरी, 2026** से मूल वेतन के **58% से बढ़ाकर 60%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

स कु दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

☎ 011 2401 2048

सेवा में ,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।**

Source URL: https://csirhrdg.res.in/

No. 1/1(i)/2026-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

Kartavya Bhavan-1, New Delhi.
Dated the 22nd April, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2026.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4(i)/2025-E.II(B) dated 6th October, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **58% to 60% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2026.**

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 011 2401 2048

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: **C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.**

Source URL: https://csirhrdg.res.in/